जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनू (राज0)

क्रमांक :– 1915 दिनांक :– 03/05/19

विज्ञप्ति

श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.7(136/2)रालसा/संस्था–संविदा सेवा/2018/10420–10431 दिनांक 30.04.2019 के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू कार्यालय हेतु स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 04 पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिक लिये जाने बाबत स्वीकृती प्रदान की गई है। अतः सेवानिवृत्त कार्मिक दिनांक 13.05.2019 तक दोपहर 12:00 पी.एम. तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

उक्तानुसार स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त कार्मिको को वित्तीय वर्ष 2019–20(29.02.2020 अथवा नियमिति भर्ती जो भी पूर्व हो तक) स्वीकृति प्रदान की गई है। रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त कार्मिक संविदा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी। आवेदन पत्र कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है। रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों का चयन गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर किया जावेगा। विज्ञप्ति के संबंध अन्य किसी भी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार गठित समिति का रहेगा।

शर्ते :–

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि नियमानुसार देय होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 15 दिवस के वेतनिक आकस्मिक अवकाश का हकदार होगे व राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपास्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भागा काटा जायेगा।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्याधीन होगी।
4. कार्मिक को पुर्ननियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. एसे सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हे किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी विज्ञप्ति के संबंध में आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त ओदशो/निर्देशों के अध्याधीन प्रभावी रहेगी।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है :–

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्त ओदश की प्रति।
2. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र एलपीसी की प्रति।
3. पीपीओ की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्न है)

–sd–
अध्यक्ष समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
झुंझुनू

क्रमांक :– 1922 दिनांक :– 03/05/19

प्रतिलिपि निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :–

1. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, रालसा जयपुर

अ. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू

ब. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

स. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कोषाधिकारी, झुंझुनू

द. नोटिस बोर्ड कार्यालय सूचना केन्द्र, झुंझुनू

क. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनू

ख. श्री प्रदीप एस.ओ. जिला न्यायालय, झुंझुनू का वास्ते जिला कोर्ट की वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।

3/5/19
अध्यक्ष समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
झुंझुनू

Scanned by CamScanner